भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5126

दिनांक 24 मार्च 2026 / 03 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए निधि आवंटन

5126. श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री तेजस्वी सूर्याः
सुश्री कंगना रनौतः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री राजकुमार चाहरः
श्री पी.पी. चौधरीः
श्री जुगल किशोरः
श्री रोडमल नागरः
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः
श्री गोपाल जी ठाकुरः
श्री सतीश कुमार गौतमः
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए किए गए आवंटन तथा व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशेषकर जम्मू जिले के सीमावर्ती गांवों में सड़कों, स्वास्थ्य केंद्रों और संचार तंत्र जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले सहित तत्संबंधी उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीएडीपी को वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) के साथ एकीकृत किया गया है;

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5126, दिनांक 24.03.2026

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विशेषकर जम्मू के सीमावर्ती जिलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (छ): सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन 16 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित प्रथम वासस्थान से 0-10 किलोमीटर के भीतर स्थित गांवों/नगरों में किया जाता है। बीएडीपी का मुख्य उद्देश्य कवरेज क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विशेष विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं और उनकी अच्छे रहन-सहन से जुड़ी जरुरतों को पूरा करना है और साथ ही बीएडीपी/अन्य केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्थानीय योजनाओं के अभिसरण द्वारा आवश्यक बुनियादी अवसंरचना यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, कृषि, खेल, पेयजल और स्वच्छता, सामाजिक क्षेत्र, लघु उद्योगों आदि से संबंधित अवसंरचना का निर्माण करना है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी) वर्त्तमान में अपने सनसेट फेज में है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं जम्मू-कश्मीर सहित सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बीएडीपी के अंतर्गत 39248 कार्यों/परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं में सड़कें, एफएसबी, पुलों और पुलियों का निर्माण, डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त कमरे, अतिरिक्त कक्षाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, छात्रावास, स्कूलों में छात्रावास आदि सम्मिलित हैं।

पिछले तीन वर्षों में बी. ए. डी. पी. के अन्तर्गत मान्य पाए गए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिबद्ध देयता के लिए ₹168.90 करोड़ जारी किए गए। राज्यवार विवरण इस प्रकार है –

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5126, दिनांक 24.03.2026

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों	2023-24	2024-25	2025-26
1	अरुणाचल प्रदेश	13.537	19.349	0.00
2	हिमाचल प्रदेश	0.00	21.40	21.40
3	लदाख	0.00	8.2353	8.2353
4	मेघालय	0.028	1.1547	0.00
5	मिजोरम	1.494	4.482	0.00
6	नागालैंड	1.377	2.066	2.066
7	सिक्किम	12.183	24.701	12.52
8	त्रिपुरा	2.891	4.928	4.928
9	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	1.933

भारत सरकार ने 4 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश में उत्तरी सीमा से सटे ब्लॉकों में 662 चयनित गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी 2023 को वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-I (वीवीपी-I) को स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 15 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरी सीमा के अलावा अन्य अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं (ILB), जिसमें भारत-पाकिस्तान सीमा भी सम्मिलित है, से सटे ब्लॉकों में स्थित 1954 चयनित गांवों के व्यापक विकास के लिए 2 अप्रैल 2025 को वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II (वीवीपी-II) को वित्तीय वर्ष 2028-29 तक के लिए स्वीकृति दी है।
